Bilateral negotiation with All India Kendriya Vidyalaya Teachers Association

*358. SHRI N. GIRI PRASAD :

SHRI MISA R. GANESAN :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as per assurance given to some MP-patrons of AIKVTA he held Ministerial level bilateral negotiations to discuss their demands; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) and (b) The Kendriya Vidyalaya Sangathan has reiterated its willingness to discuss all the demands of the All India Kendriya Vidyalaya Teachers Association (AIKVTA) and other teachers Association so as to arrive at reasonable solutions on their demands. Several rounds of discussions have already taken place at various levels including the Joint Consultative Machinery (JCM). A statement of the demands of AIKVTA and the Sangathan's stand thereon is placed on the table of the Sabha as Annexure.

[*See* Appendix CLXVI, Annexure No. 55].

खाद्यान्नों की आवश्यकता

*359. **डा. विनेन्द्र कुमार जैन :**

श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक सुधार करने के कार्यक्रम को लागू करने के बाद वर्ष 1993-94 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) क्या सरकार ने उपर्युक्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अगली रबी की फसल के समय खाद्यान्नों की खरीद का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) वर्ष 1993-94 के लिए जवाहर रोजगार योजना हेतु राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की आपूर्ति सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 190 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की आवश्यकता होने का अनुमान है, जिसमें 90 लाख मीटरी टन गेहूं और 100 लाख मीटरी टन चावल शामिल है ।

(ख) और (ग) चूंकि वसूली/समर्थन मूल्यों पर गेहूं और रबी के मोटे अनाजों की स्वैच्छिक आधार पर वसूली की जाती है, इसलिए 1-4-1993 से आरम्भ हो रहे रबी विपणन मौसम, 1993-94 के दौरान इन अनाजों की वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं । तथापि, सरकार गेहूं की अधिक से अधिक वसूली करने के लिए यथा संभव सभी उपाय कर रही है जिसमें 330/- रु. प्रति क्विंटल के आकर्षक वसूली मूल्य की घोषणा करना, पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोलना और विनियमित मंडियों में अपेक्षित संगठनात्मक समर्थन प्रदान करना, आदि शामिल है ।

प्रतिभावान खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता

*360. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सामाजिक मान्यता और वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इस संबंध में योजना का ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) मध्य प्रदेश और उड़ीसा के किन-किन खिलाड़ियों को इस योजना का लाभ दिये जाने की संभावना है ।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्तमान में सरकार ओलम्पिक, एशियाई तथा राष्ट्रमण्डल खेलों में पदक जीतने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती है । इसके अतिरिक्त, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल-रत्न तथा अर्जुन पुरस्कार जैसे पदक प्रदान करके सामाजिक मान्यता तथा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

(ख) ये योजनाएं सभी राज्यों, जिसमें मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा भी शामिल है, के उत्कृष्ट खिलाड़ियों पर लागू होती हैं ।

गो-हत्या के मामले

@3103. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां गो-हत्या पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है और उक्त प्रतिबंध कब से लगाया गया है;

(ख) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान गो-हत्या पर लगे प्रतिबन्ध का उल्लंघन कर गो-हत्या की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं; तथा उन व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध इस संबंध में कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कोई प्रभावी विधान बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो उक्त विधान कब तक बना दिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

Sale of Licences for Manufacturing Pesticides

@@3104. SHRI SATISH PRADHAN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the trading of licences granted for manufacturing of pesticides under the provisions of the Insecticides Act is being indulged in by the allottees;

(b) if so, the number of such cases detected by Government during the last two years;

(c) the number of applications received during 1988-89, 1989-90, 1990-91, number of licences issued to the applicants as above and number of units having completed the plant within stipulated period of two years;

(d) whether Government propose to revise the policy/amend the Insecticides Act; if so, the details thereof; and

(e) if not, what action Government propose to take to prevent the sales of these licences ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) No such cases have come to the notice of the Government of India so far.

(b) Question does not arise.

(c) The available information is annexed as statement (*See* below).

(d) and (e) Amendment to the Insecticides Rules 1971 including Rule 14, which deals with transfer of licence, has been notified for inviting public comments.

@पूर्वतः असंख्याकित प्रश्न 1853, 10 मार्च, 1993 से स्थानान्तरित ।

@@ Previously unstarred question 1994, transferred from 11th March 1993.